



प्रेषक,

संकठा प्रसाद,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2026

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से जनपद-आजमगढ़ की 20 परियोजनाओं के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1964/10/छ:/विविध/(द्वितीय किश्त)/2026-27, दिनांक 30.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-171/2025/726/69-1-25--1912417, दिनांक 28.03.2025 द्वारा जनपद-आजमगढ़ की 20 परियोजना हेतु ₹0 532.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत अर्थात् ₹0 133.0800 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से निम्नलिखित तालिका में अंकित द्वितीय/अन्तिम किश्त की धनराशि ₹0 398.4600 लाख (रूपये तीन करोड़ लाख अठ्ठानब्बे लाख छियालिस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, माननीया राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्र.सं. | जनपद का नाम | निकाय का नाम   | बस्ती/वार्ड का विवरण।                                                                                 | परियोजना की कुल लागत | टेण्डर की गयी धनराशि(सेन्टेज सहित) | प्रथम किश्त की निर्गत धनराशि | द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि। (6-7) |
|---------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2           | 3              | 4                                                                                                     | 5                    | 6                                  | 7                            | 8                                                                 |
| 1       | आजमगढ़      | न0पा0प0 आजमगढ़ | वार्ड सं0-05, मातवरगंज में अजय राय के घर से आर्य समाज मंदिर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 31.02                | 30.98                              | 7.7550                       | 23.2250                                                           |
| 2       | तदैव        | तदैव           | वार्ड नं0-10, एलवल में                                                                                | 35.29                | 35.25                              | 8.8225                       | 26.4275                                                           |

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|   |      |                    |                                                                                                                                             |       |       |        |         |
|---|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|
|   |      |                    | रामकृपाल के घर से सतीश श्रीवास्तव के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।                                                                |       |       |        |         |
| 3 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं0-15, सीताराम में सैय्यद बाबा स्थान से राजू के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड व पटिया नाली निर्माण कार्य।                                    | 30.30 | 30.27 | 7.5750 | 22.6950 |
| 4 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं0-16, पहाड़पुर में अशोक के घर से शौचालय तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।                                                   | 9.50  | 9.49  | 2.3750 | 7.1150  |
| 5 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं0-18, हीरापट्टी, शिवाजीनगर में प्रहलाद सिंह के घर से संजय राय के घर से विनय अस्थाना के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य। | 22.78 | 22.50 | 5.6950 | 16.8050 |
| 6 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं0-20, रैदोपुर में सूर्यबली के घर से जितेन्द्र चौधरी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।                                 | 31.49 | 31.45 | 7.8725 | 23.5775 |
| 7 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं0-22, बाबबहादुर में सिटी पब्लिक स्कूल के सामने से भरत की जमीन तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।                             | 34.92 | 34.89 | 8.7300 | 26.1600 |
| 8 | तदैव | न0पा0प0 बिलरियागंज | वार्ड नं0-07, जलालपुर में एसपी ग्लोबल स्कूल तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।                                                              | 25.83 | 25.81 | 6.4575 | 19.3525 |
| 9 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं0-23, छिनी में पीडब्ल्यूडी रोड, दूधनाथ चौधरी के घर से अमीना इण्टर कॉलेज छिनी तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण                            | 29.52 | 29.49 | 7.3800 | 22.1100 |

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|    |      |                |                                                                                                                                                             |       |       |         |         |
|----|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|
|    |      |                | कार्य।                                                                                                                                                      |       |       |         |         |
| 10 | तदैव | तदैव           | वार्ड नं0-23, छिहीं में पीडब्ल्यू डी रो, हरीला मौर्या के चक से अशफाक के बाग तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।                                              | 30.85 | 30.82 | 7.7125  | 23.1075 |
| 11 | तदैव | तदैव           | वार्ड नं0-23, छिहीं में कलिन्दर गौड़ के घर से जैस के मड़ई तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।                                                                | 33.21 | 33.17 | 8.3025  | 24.8675 |
| 12 | तदैव | तदैव           | वार्ड नं0-23, छिहीं में गुलाब धोबी के घर से छिहीं बाजार तक नाली निर्माण कार्य।                                                                              | 18.96 | 18.94 | 4.7400  | 14.2000 |
| 13 | तदैव | न0पं0 माहुल    | वार्ड नं0-5, सरदार बल्लभ भाई पटेल नगर में गुफरान पक्की से पुद्दन के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।                                                   | 14.87 | 14.84 | 3.7175  | 11.1225 |
| 14 | तदैव | न0पं0 आजमगढ़   | वार्ड नं0-09 सिधारी पूर्वी, कृष्णा नगर कॉलोनी में श्री अजय के घर से महेन्द्र के घर तक सी0सी0 सड़क व नाली पटिया निर्माण कार्य।                               | 40.50 | 40.47 | 10.1250 | 30.3450 |
| 15 | तदैव | तदैव           | वार्ड नं0-09 बदरका में पुलिस चौकी के सामने शिव मंदिर के बगल से प्रा0वि0 बदरका होते हुए लल्लू सोनकर के चक्की तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली पटिया निर्माण कार्य। | 30.49 | 30.47 | 7.6225  | 22.8475 |
| 16 | तदैव | तदैव           | वार्ड नं0-10, एलवल में पुलिस चौकी से पिन्टू पंडित के घर तक सी0सी0 व नाली निर्माण कार्य।                                                                     | 29.34 | 29.31 | 7.3350  | 21.9750 |
| 17 | तदैव | न0पा0प0 आजमगढ़ | वार्ड नं0-20 रैदोपुर में अवनीश मौर्या के घर से मनीष के घर तक                                                                                                | 14.23 | 14.21 | 3.5575  | 10.6525 |

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|    |      |                    |                                                                                                                                                    |               |               |                 |                 |
|----|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|    |      |                    | इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।                                                                                                             |               |               |                 |                 |
| 18 | तदैव | तदैव               | वार्ड नं०-20 रैदोपुर में राजापुर ठकुरहन में राकेश अस्थाना जी के घर से श्री केशरी देवी स्कूल के गेट तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली पटिया निर्माण कार्य। | 24.92         | 24.90         | 6.2300          | 18.6700         |
| 19 | तदैव | न०पा०प० बिलरियागंज | वार्ड नं०-20, नसीरपुर में सरहद से नहर पिच रोड तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।                                                                   | 21.93         | 21.92         | 5.4825          | 16.4375         |
| 20 | तदैव | न०पं० माहूल        | वार्ड नं०-3, गांधीनगर में अनिल चौरसिया के मकान से प्रीति के मकान तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।                                                     | 22.37         | 22.36         | 5.5925          | 16.7675         |
|    |      |                    | <b>योग</b>                                                                                                                                         | <b>532.32</b> | <b>531.54</b> | <b>133.0800</b> | <b>398.4600</b> |

(रूपये तीन करोड़ अठानवे लाख छियालिस हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/69-1-17-14(31)2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्ण रूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- 
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. सूडा/डूडा द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल् बैंक में ही रखा जायेगा और स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।
18. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को एच0डी0एफ0सी0 बैंक/शिड्यूल् बैंक में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, इडा का होगा।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -37 लेखा शीर्षक 2217040510400 मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संकठा प्रसाद)

उप सचिव।

#### संख्या एवं दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आजमगढ़।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।

10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)

उप सचिव।